न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 53/2020

प्रार्थी

श्रीमती उमराव कुंवर पत्नी श्री हमीर सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– तंवरी, तहसील व जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) सरपंच, ग्राम पंचायत, तंवरी, तहसील व जिला– सिरोही
(2) ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, तंवरी, तहसील व जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राव, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अप्रार्थीगण की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 20 अक्टूबर, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने के संबंध में जारी नोटिस क्रमांकः 105 दिनांक 21.8.2020 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण की ओर से श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित एवं अप्रार्थीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के स्वामित्व व मालकी कब्जे आधिपत्य के भूखण्ड ग्राम तवरी, तहसील व जिला सिरोही में स्थित है जो खसरा संख्या 1927/1168 में स्थित है एवं इस भूखण्ड़ पर प्रार्थी का कब्जा निरन्तर व निर्बाध रूप से गत 13–14 वर्षो से शान्तिपूर्ण तरीके से चला आ रहा है। प्रार्थी ग्राम तंवरी का स्थायी निवासी है। प्रार्थी के कब्जे भोगवटे के भूखण्ड़ के उत्तर दिशा में पडत भूमि, दक्षिण में खाली भूमि, पूर्व में हडमतिया कुआं व पश्चिम में कालन्द्री–जसवंतपुरा की पक्की सड़क है व नाप उत्तर–दक्षिण 45 फीट व पूर्व–पश्चिम 60 फीट कुल नाप 2700 वर्गफीट है। ग्राम पंचायत, तंवरी को प्रार्थीया के उक्त भूखण्ड़ पर निरन्तर व निर्बाध रुप से कब्जे आधिपत्य की भलीभांति जानकारी है। प्रार्थीया के उक्त कब्जे आधिपत्य के भूखण्ड़ पर पुराना टीनशेड पतरे लगा हुआ मकान बना हुआ है व मौके पर निर्माण सामग्री पत्थर, ईंट, रेत आदि पडे हुए है। प्रार्थी के इस भूखण्ड़ की भूमि की पूर्व में किस्म गोचर थी, जो ग्राम पंचायत, तंवरी के आवेदन पर जिला कलेक्टर महोदय सिरोही के आदेश क्रमांकःप.12(3)()राज/2017/3655–59 दिनांक 07.9.2017 के द्वारा आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत, तंवरी को आवंटित की गई थी। उक्त भूमि आबादी हेतु आवटन करने से पूर्व ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा बैठक लेकर उक्त भूमि पर बैठे हुए कब्जेधारियों की सूची तैयार की गई थी जिसमें प्रार्थीया का नाम भी शामिल है। प्रार्थीया ने अपने कब्जे भोगवटे के उक्त भूखण्ड़ का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत, तंवरी में आवेदन प्रस्तुत किया तब ग्राम पंचायत तंवरी द्वारा आश्वस्त किया गया था कि जिला कलेक्टर, सिरोही [illegible] भूखण्ड़ की भूमि आबादी में [illegible]ज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:04:08 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही *

आवंटन होने के बाद कब्जेधारियों को पट्टे जारी कर दिये जोयगें, जिसमें प्रार्थीया को भी पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत, तंवरी ने आश्वस्त किया था। यह कि ग्राम तंवरी में कई व्यक्तियों के पास आबादी भूखण्डों के पट्टे नही है तथा उक्त भूमि पर भी पूर्व से ही कब्जे कर रखे है तथा निर्माण कार्य भी किया हुआ है, लेकिन ग्राम पंचायत, तंवरी ने प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्रार्थी के द्वारा आम नीलामी में क्रय किये गये भूखण्डों को दूसरें व्यक्तियों को पट्टे जारी करना चाहती है, इस कारण प्रार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण बाबत् नोटिस जारी किया है। जबकि ग्राम पंचायत, तंवरी को इस तथ्य की जानकारी है कि इस भूखण्ड पर प्रार्थीया का पुराना कब्जा है। यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1966 के नियम 156 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति का आबादी भूमि पर स्वत्व का दावा न्याय संगत है एवं मौके पर अतिचार है तो ऐसे भूखण्डों को पंचायत द्वारा प्रचलित बाजार दर राशि पर नियमन कर पट्टा जारी किया जायेगा। उक्त नियमों के नियम 165(4) में भी यह प्रावधान है कि पंचायत की किसी आबादी भूमि पर किये गये अतिक्रमणों का प्रचलित बाजार दर अनुसार राशि वसूल कर नियमन कर पट्टा जारी किया गया जायेगा। यह कि प्रार्थीया अपने उक्त पुराने कब्जे भोगवटे के भूखण्ड को ग्राम पंचायत से बाजार दर अदा कर पट्टा प्राप्त करने की अधिकारी है तथा प्रार्थीया नियमानुसार प्रचलित बाजार दर अनुसार राशि भी जमा कराने हेतु तैयार व तत्पर है। राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकःप.9(9)(20)राज/6/17 दिनांक 10.7.2019 व विभागीय पत्र दिनांक 14.1.2.2019 व 20.5.2019 में राज्य सरकार द्वारा चारागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटाने व यदि अतिक्रमित भूमि आबादी प्रयोजन हेतु काम में आ रही है तथा नियमित किया जाना प्रस्तावित हो तो सम्पूर्ण अतिक्रमित क्षेत्र का सर्वे कवाकर अतिक्रमित भूमि पर बसे परिवारों की सूची भेजने के निर्देश दिये थे, इसी क्रम में ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा वर्ष 2017 में भी सूची तैयार की गई थी। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.9(6)2000/10 दिनांक 07.9.2017 के द्वारा 300 वर्गगज तक की भूमि पर अतिक्रमणों का आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन करने के निर्देश दिये थे, लेकिन ग्राम पंचायत, तंवरी को भूमि आवंटन होने पर पंचायत अपने चहेते व्यक्तियों को भूखण्ड़ वितरण करना चाहती है। यह कि ग्राम पंचायत, तंवरी ने प्रार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण के संबंध में नोटिस दिनांक 21.8.2020 को गलत रुप से जारी किया है कि ग्राम पंचायत तंवरी के खसरा नम्बर 1927/1168 किस्म आबादी भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा रिट संख्या 14264/2019 में पारित आदेश दिनांक 04.10.2019 के द्वारा इस भूमि पर स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। जबकि अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत, तंवरी को आवंटित उक्त भूमि में गलत रुप से पट्टे जारी करने से ग्राम के दो व्यक्तियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर अप्रार्थीगण को पाबन्द करने का अनुरोध किया था कि जिस पर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया है कि उक्त भूमि को किसी प्रकार बेचे नही व मौके पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही करे, लेकिन ग्राम पंचायत, तंवरी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश का गलत विवेचन कर प्रार्थी को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जारी नोटिस दिनांक 21.8.2020 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रार्थी ने पटवार हल्का तंवरी के खसरा संख्या 1927/1168 की भूमि पर [illegible] किया हैं। खसरा संख्या 1927/1168 पूर्व में खसरा संख्या 1168 [illegible] था एवं खसरा संख्या 1168 गोचर भूमि का खसरा [illegible] के आदेश क्रमांकःपं. 12(3)(3)राज/2017/3655—59 दिनांक [illegible] के द्वारा ग्राम तंवरी के खसरा

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:04:08 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

संख्या 460, 1168 व 1619 में से क्रमशः 1.60, 0.48 व 1.60 हेक्टेयर भूमि का गोचर से आबादी विस्तार हेतु आवंटन किया गया था एवं इनके नये खसरा संख्या क्रमशः 1926/460, 1927/1168, 1928/1619 आबादी भूमि के रुप में दर्ज किये गये थे। जिला कलेक्टर, सिरोही के उक्त आदेश दिनांक 07.9.2017 के विरुद्ध माननीय राजस्व अपील अधिकारी, पाली के विरुद्ध ग्रामवासी तंवरी द्वारा राजस्व अपील संख्या 12/2018 प्रस्तुत की गई, जिसमें राजस्व अपील अधिकारी, तंवरी के निर्णय दिनांक 09.9.2019 के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर जिला कलेक्टर, सिरोही के उक्त भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटित करने के आदेश दिनांक 07.9.2017 को निरस्त किया जाकर उक्त भूमि को पुनः गोचर भूमि घोषित किया गया था। ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी, पाली के निर्णय दिनांक 09.9.2019 के विरुद्ध राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष अपील/एल.आर./5148/2019/सिरोही के जरिये चुनौती दी गई जिस पर माननीय राजसव मण्डल, अजमेर ने आदेश दिनांक 19.9.2019 के द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, पाली के निर्णय दिनांक 09.9.2019 की पालना व प्रभाव को आगामी तारीख पेशी तक स्थगित कर दिया। जिस पर उक्त आदेश को ग्रामवासी, तंवरी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्या 14264/2019 के जरिये चुनौती दी, जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.2019 को उक्त रिट याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया कि In view of the aforesaid writ petition is allowed, impugned order dated 2019-09-09 is modified to the extent that till the disposal of the appeal, pending before the Board of Revenue, the respondents No. 3 & 4 shall not transfer, alienate or create third party rights qua the disputed land and on the other hand no action shall be taken for giving effect to or enforcing the order of Revenue Appellate Authority. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का यह निर्णय अभी भी प्रभाव में हैं एवं वर्तमान में राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रकरण लम्बित है, इस प्रकार उपरोक्त भूमि वर्तमान में भी गोचर भूमि है। उक्त भूमि गोचर भूमि है एवं गोचर भूमि पर प्रार्थी का कभी कब्जा नहीं रहा एवं न ही इस प्रकार के अवैध कब्जे से प्रार्थी को कोई हक अधिकार प्राप्त होता है। प्रार्थी का उक्त भूखण्ड़ पर कभी भी कब्जा नही रहा है और न ही प्रार्थीया ने इस संबंध में ग्राम पंचायत, तंवरी में कभी कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया ने दिनांक 31.12.2019 को रात्रि में कांटों की बाड कर अवैध अतिक्रमण किया है जिसको हटाने के लिये ग्राम पंचायत द्वारा कई बार प्रार्क्थीया को कहा, तब प्रार्थीया ने उक्त अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया था, इसके बावजूद अतिक्रमण नही हटाने से पंचायत द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी किया है। प्रार्थीया का कभी भी उक्त भूखण्ड़ पर कभी भी कब्जा नही हरा एवं प्रार्थीया के पति राजकीय कर्मचारी है एव बीएलओ के पद पर कार्यरत है जिससे प्रार्थीया किसी भी प्रकार से भूमि आवंटित करवोन की अधिकारिणी नही है। प्रार्थीया द्वारा दिनांक 31.12.2019 को रात्रि में उक्त गोचर भूमि पर अतिक्रमण किया है एवं गोचर भूमि पर पट्टे जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नही है। यह कि प्रार्थीया द्वारा निगरानी आवेदन में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर ही एक सिविल वाद संख्या 05/2020 माननीय सिविल न्यायाधीश,, सिरोही के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, उसमें अप्रार्थीगण द्वारा आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश करने पर प्रार्थीया द्वारा उक्त वाद को विड्रा कर दि[illegible]2.2021 को खारिज करवाया है, इसलिये प्रार्थीया इन्हीं तथ्यों [illegible] कोई राहत प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है। अतः प्रार्थीया का निगरानी [illegible] आवेदन खारिज किया जावे।

......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:04:08 IST
Reason: SelfAttested

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने के संबंध में नोटिस क्रमांकः 105 दिनांक 21.8.2020 को इस आशय का जारी किया गया है कि ग्राम पंचायत, तंवरी के खसरा संख्या. 1927 / 1168 की भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 04.10.2019 से स्थगन आदेश जारी किया हुआ है एवं राजस्व मण्डल न्यायालय, अजमेर में वाद संख्या 5148 / 2019 विचाराधीन है, फिर भी इस भूमि पर दिनांक 31.12.2019 को रात्रि में कांटो की बाड कर अवैध रुप से अतिक्रमण किया है, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की है, इसलिये खसरा संख्या 1927 / 1168 किस्म आबादी भूमि पर किया गया अवैध अतिक्रमण तीन दिवस में हटा देवे, अन्यथा ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा उचित कार्यवाही कर हटा दिया जायेगा।

इस संबंध में प्रार्थी का कथन यह है कि ''खसरा संख्या 1927 / 1168 की भूमि में प्रार्थी के पुराने कब्जे भोगवटे का भूखण्ड़ स्थित है, जिसकी चतुर्दशी उत्तर में पडत भूमि, दक्षिण में खाली भूमि, पूर्व में हड़मतिया कुआं व पश्चिम में कालन्द्री—जसवन्तुपरा की पक्की सड़क है एवं भूखण्ड़ का नाप उत्तर—दक्षिण 45 फीट व पूर्व—पश्चिम 60 फीट कुल नाप 2700 वर्गफीट है।'' लेकिन प्रार्थीया ने इस कथन के समर्थन में उक्त भूखण्ड़ पर पुराना कब्जा होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है। जबकि अप्रार्थी पक्ष का कथन है कि ''जिला कलेक्टर सिरोही के आदेश क्रमांकःपं. 12(3)(3)राज / 2017 / 3655—59 दिनांक 07.9.2017 के द्वारा ग्राम तंवरी के खसरा संख्या 460, 1168 व 1619 में से क्रमशः 1.60, 0.48 व 1.60 हेक्टेयर भूमि का गोचर से आबादी विस्तार हेतु आवंटन किया गया था एवं इनके नये खसरा संख्या क्रमशः 1926 / 460, 1927 / 1168, 1928 / 1619 आबादी भूमि के रुप में दर्ज किये गये थे।'' अप्रार्थी पक्ष का यह भी कथन है कि ''प्रार्थी का उक्त भूखण्ड़ पर कभी भी कब्जा नही रहा है और न ही प्रार्थीया ने इस संबंध में ग्राम पंचायत, तंवरी में कभी कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया ने दिनांक 31.12.2019 को रात्रि में कांटों की बाड कर अवैध अतिक्रमण किया है।''

पत्रावली पर दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि जिला कलेक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांकःपं.12(3)(3)राज / 2017 / 3655—59 दिनांक 07.9.2017 के विरुद्ध ग्राम तंवरी के नागरिक पन्नाराम पुत्र नरसाजी कलबी, निवासी— तंवरी व अन्य द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील प्रस्तुत की गई। इस राजस्व अपील संख्याः 12 / 2018 में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.9.2019 के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर जिला कलेक्टर, सिरोही के आवंटन आदेश क्रमांकःपं.12(3((3)राज / राज / 2017 / 3655—59 दिनांक 07.9.2017 को अपास्त किया गया। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 07.9.2017 के विरुद्ध ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान में अपील प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अपील / एल.आर. / 5148 / 2019 / सिरोही में पारित आदेश दिनांक 19.9.2019 के द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के निर्णय दिनांक 09.9.2019 की पालना एवं प्रभाव को आगामी नियत दिनांक तक स्थगित रखा गया। माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.9.2019 के विरुद्ध उक्त पन्नाराम पुत्र [illegible] तंवरी व अन्य द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वा[illegible].सिविल रिट पीटीशन संख्याः 14264 / 2019 प्रस्तुत की गई [illegible] उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक

.....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:04:08 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

04.10.2019 को यह आदेश पारित किया गया है कि "In view of the aforesaid writ petition is allowed, impugned order dated 2019-09-09 is modified to the extent that till the disposal of the appeal, pending before the Board of Revenue, the respondents No. 3 & 4 shall not transfer, alienate or create third party rights qua the disputed land and on the other hand no action shall be taken for giving effect to or enforcing the order of Revenue Appellate Authority."

इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम तंवरी के खसरा संख्या 1927/1168 की भूमि के संबंध में स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुए प्रार्थी ने उक्त खसरा संख्या 1927/1168 की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया है। चूंकि उपलब्ध भू अभिलेख अनुसार प्रश्नगत भूमि ग्राम पंचायत, तंवरी के नाम आबादी भूमि के रुप में दर्ज है, तथा ग्राम पंचायत, तंवरी प्रकरण में पक्षकार होने से इसका यह कर्तव्य है कि वह मौके पर उक्त भूमि के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करवाए, अतः ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण रोकने एवं भूमि के संरक्षण के लिए यदि प्रार्थी को नोटिस जारी किया है तो वह किसी भी दशा में विधि एवं विधिक प्रक्रिया के विरुद्ध नही माना जा सकता है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। ऐसी स्थिति में, हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी सारहीन होने एवं भलीभांति साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने एवं भलीभांति साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20 अक्टूम्बर, 2023 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:04:08 IST
Reason: SelfAttested